उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-15/2021/177/92-2-21-151जॉच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 15 फरवरी 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-फैजाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 के पैकेज संख्या-यू0पी0-13141 की निविदा को कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर रिस्पान्सिव किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2016/199/92-2-2016-151जांच/2015 दिनांक 29-01-2016 द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-82/2016/ 2063/92-2-2016-151जांच/2015 दिनांक 22-12-2016 द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.01.2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक जॉच में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सम्बद्ध किया गया।

2- श्री एम0के0 श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-58127/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18-12-2016 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2017/40/92-2-17-151 जांच/2015 दिनांक 09-01-2017 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री आर0सी0 बर्नवाल, प्रमुख अभियंता, (ग्रामीण मार्ग) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। पुन: रिट याचिका संख्या-549/2017 एम0के0 श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-29/2017/327/92-2-17-151जांच/2015 दिनांक 28-02-2017 द्वारा श्री श्रीवास्तव के निलम्बन को समाप्त करते हुये उन्हें सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया गया किया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

3- जांच अधिकारी/श्री आर0सी0 बर्नवाल, प्रमुख अभियंता (ग्रामीण मार्ग), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-28कैम्प/दिनांक 22.02.2017 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से अपचारी अधिकारी श्री श्रीवास्तव को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उक्त आरोप अपचारी अधिकारी द्वारा दि0 08.03.2017 को प्राप्त किया गया।जॉच अधिकारी/प्रमुख अभियंता,लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्रांक-126/कैम्प/दि0 23.03.2017 द्वारा अनुस्मरण कराये जाने के बाद भी अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर अप्राप्त होने की स्थिति में जॉच अधिकारी के पत्र दि0 10.04.17 एवं 25.04.2017 से प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में श्री श्रीवास्तव को मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु क्रमश: पत्रदि0 25.04.17 व 16.05.2017 निर्धारित किया गया जिसके क्रम में श्री श्रीवास्तव न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और न ही कोई पत्राचार किया गया। उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के क्रम में जॉच अधिकारी/प्रमुखअभियंता, लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-190कैम्प/प्र0अ0 (ग्रा0स0)/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव, अधी0अभि0) दिनांक 22-05-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री श्रीवास्तव का बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में एक पक्षीय जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 02 आरोप पूर्णतः स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत शासन के पत्रांक-792/92-2-17-151जांच/2017 दिनांक 14.06.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-35/2018/420/92-2-18-151जांच/2015 दिनांक 16-02-2018 द्वारा उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

4- शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 से मॉगे गये अभ्यावेदन का बचाव उत्तर अप्राप्त रहने पर पत्र दि0 11.07.2017 व 22.09.2017 द्वारा अनुस्मरण कराया गया। फिर भी बचाव उत्तर अप्राप्त रहने पर शासन के पत्र सं0-498/92-2-18-151जांच/15 दि0 20.03.2018 द्वारा श्री श्रीवास्तव को मौखिक/ व्यक्तिगत सुनवाई व साक्ष्य प्रतिपरीक्षण हेतु दि0 03.04.2018 को सायं 3.30 बजे का समय निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित अवधि में उपस्थित न होकर श्री श्रीवास्तव के हस्ताक्षर रहित पत्र दि0 03.04.2018 से अपना बचाव उत्तर दिये जाने हेतु छः बिन्दुओं से संबंधित अभिलेखों की मॉग की गयी। शासन के पत्र दि0 15.06.18, 17.07.2018, 07.09.2018, 04.01.2019, 28.01.2019 व 26.04.2019 से उनके हस्ताक्षरयुक्त अभ्यावेदन/पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किये जाने पर श्री श्रीवास्तव के हस्ताक्षरयुक्त पत्र दिनांक 04.05.2019 से पुनः छः बिन्दुओं से संबंधित अभिलेख की मॉग की गयी। शासन/निदेशालय द्वारा किये गये पत्राचार के क्रम में अधीक्षण अभियंता, परि0-अयोध्या के पत्र दि0 07.08.2019 द्वारा श्री श्रीवास्तव को छः बिन्दुओं में से बिन्दु सं0-1 से 4 तक के अभिलेख उपलब्ध कराते हुये बिन्दु सं0-5 व 6 से संबंधित अभिलेख परिमण्डल कार्यालय अयोध्या में उपलब्ध न होने की स्थिति से श्री श्रीवास्तव को अवगत कराया गया। श्री श्रीवास्तव के पत्र दि0 24.09.2019 द्वारा बिन्दु सं0-5 व 6 को अपना बचाव उत्तर दिये जाने हेतु पुनः अभिलेखों की मॉग की गयी। बिन्दु सं0-5 व 6 जिसमें श्री विनोद कुमार, ठेकेदार द्वारा कूटरचित प्रमाण पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सीवान के पत्र तथा द्वितीय बिड मूल्यांकन के समय पुलिस अधीक्षक, सीवान के पत्र पर परिमण्डल कार्यालय फैजाबाद के अभिमत की नोटशीट चाही गयी है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये शासन के पत्र सं0- 2315/92-2-19-151जांच/15 दिनांक 18.11.2019 द्वारा श्री श्रीवास्तव द्वारा मॉगे जा रहे अभिलेखों की प्रासंगिकता को स्पष्ट करने तथा मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुये दि0 27.11.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे अपर मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु शासन द्वारा निर्धारित तिथि 27.11.2019 को श्री श्रीवास्तव उपस्थित नही हुये। निदेशालय द्वारा शासन के पत्र दिनांक 18.11.2019 की डाक विभाग की ऑनलाइन प्राप्त रसीद (दि0 25.11.2019 को श्री श्रीवास्तव के घर पर पत्र डाक विभाग द्वारा प्राप्त कराया गया) से स्पष्ट है कि श्री श्रीवास्तव द्वारा अपना बचाव उत्तर दिये जाने में टाल मटोल करते हुये अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में श्री श्रीवास्तव पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त उन्हें गम्भीर दुराचरण के लिये दोषी पाते हुये उन्हें अंतिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंशन के 10 प्रतिशत अंश को स्थायी रूप से कटौती किये जाने के दण्ड दिये जाने का अनन्तिम निर्णय पर शासन के पत्र दिनांक 17.01.2020 से मा0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की सहमति प्राप्त की गयी। मा0 लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 29.01.2021 द्वारा शासन स्तर से विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर बिचारोपरान्त सहमति व्यक्त करते हुये शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी।

5- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप एवं जॉच अधिकारी की जॉच आख्या का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

<u>आरोप संख्या-1</u>

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद के निविदा सूचना सं0-3392/ ग्रा0 अ0वि0/ई0पी0एन0-10डब्लू/बी/यू0पी0जी0/5/2014-15 दिनांक 06-09-2014 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज-10 के अंतर्गत पैकेज सं0-13141 की निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके अनुसार निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17.10.2014 तथा निविदाओं के खोलने की तिथि दि0 20.10.2014 निर्धारित थी, जिसकी तकनीकी बिड पार्ट-1 दि0 20.10.2014 को खोली गयी परन्तु लगभग 73 दिनो के अंतराल के बाद तकनीकी विड मूल्यांकन पार्ट-1 वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुमति यू0पी0आर0 आर0डी0ए0 से मांगी गयी, जबकि **Procurement manual** के चैप्टर-6 के टेबुल-6.1 एवं **NRRDA Letter No. P-17025/33/2011/P-111/NRRDA Dated 07.05.2013** के साथ संलग्न गाइड लाइन आफ विडस एवार्ड

आफ कान्ट्रेक्ट के पैरा-5.6 के अनुसार 05 कार्य दिवसों में तकनीकी विड अपलोड कराये जाने का प्राविधान है जो यूपीआरआरडीए एवं निदेशालय द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव को पूर्व में ही प्रेषित किया गया है। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव को तकनीकी विड के अप्रेजल (मूल्यांकन कार्यवाही) में किये गये असाधारण विलम्ब के लिये श्री एम0के0 श्रीवास्तव को उत्तरदायी पाया गया ।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

जॉच अधिकारी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर उपलब्ध नही कराया गया है।

<u>जांच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना</u>

अपचारी अधिकारी पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-10 के अंतर्गत पैकेज सं0-13141 की निविदा से संबंधित तकनीकी बिड पार्ट-1 दि0 20.10.2014 को खोलने की **Procurement manual** के चैप्टर-6 के टेबुल-6.1 एवं एन0आर0आर0डी0ए0 के पत्र दि0 07.05.2013 के साथ संलग्न गाइड लाइन आफ विडस एवार्ड आफ कान्ट्रेक्ट के पैरा-5.6 के अनुसार 05 कार्य दिवसों में तकनीकी विड अपलोड कराये जाने के प्राविधान के विपरीत 73 दिनो के बाद उक्त बिड वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुमति यू0पी0आर0 आर0डी0ए0 से मांगने के कारण हुए असाधारण विलम्ब के लिये आरोपित किया गया है।

उपरोक्त आरोप से संबंधित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री एम0के0 श्रीवास्तव ने दिनांक 08.03.2017 को प्राप्त किया। उक्त आरोप-पत्र में यह उल्लिखित किया गया था कि अपचारी अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के संबंध में अपना लिखित उत्तर 15 दिन में या उसके पूर्व जॉच अधिकारी को प्रस्तुत करेगें और यदि अपचारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि के अंदर अपना लिखित उत्तर प्राप्त नही कराया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसे अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गुण-अवगुण के आधार पर यथोचित निर्णय ले लिया जायेगा। उक्त आरोप पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया था कि यदि अपचारी अधिकारी व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है अथवा किसी साक्ष्य का प्रति परीक्षण करना चाहते है तो भी लिखित रूप से तदनुसार अवगत करायें, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में न तो अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही किसी व्यक्तिगत सुनवाई / साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण हेतु सूचित ही किया गया।

तत्पश्चात जांच अधिकारी कार्यालय के पत्र दि0 23.03.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी को अपना बचाव उत्तर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया गया, इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा एक माह पश्चात भी अपना बचाव उत्तर उपलब्ध न कराये जाने पर जांच अधिकारी के पत्र सं0-136कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)/17-जांच(एम0के0श्रीवास्तव,अधी0अभि0), दिनांक 10.04.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जांच तिथि 25.04.2017 निर्धारित करते हुये अपचारी अधिकारी को अपने बचाव उत्तर सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

उक्त निर्धारित जॉच तिथि 25.04.2017 पर अपचारी अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी दोनो ही उपस्थित नही हुए और न ही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में उनके द्वारा कोई मौखिक/लिखित सूचना ही दी गई। तत्पश्चात जांच अधिकारी के पत्रांक-154कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव, अधी0अभि0) दिनांक 25.04.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पुन जॉच तिथि 16.05.2017 निर्धारित करते हुये अपचारी अधिकारी को अपने बचाव उत्तर सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

अपचारी अधिकारी को उपरोक्तानुसार जॉच अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक-126कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दि0 23.03.2017, पत्रांक-136कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0 स0)/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दि0 10.04.2017 एवं पत्रांक-154कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)/ 17-जांच(एम0के0श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दि0 25.04.2017 की तामीली जांच अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त न होने के दृष्टिगत पत्रांक-159कम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)/17-जांच (एम0के0श्रीवास्तव, अधी0अभि0) दि0 28.04.2017 द्वारा निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को उक्त तीनो पत्रों की पावती अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय पत्रांक-426/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव, अधी0अभि0) दि0 02.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पत्र अपचारी अधिकारी को आवास पर प्राप्त कराये जाने हेतु जांच अधिकारी के कार्यालय द्वारा भेजे गये परन्तु उनके आवास पर उपस्थित न होने की स्थिति में उक्त पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे गये है, परन्तु निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय द्वारा उक्त पत्रों की तामीली की कोई सूचना जांच अधिकारी को उपलब्ध नही कराई गई। तत्पश्चात पुन: जांच अधिकारी के कार्यालय के पत्रांक-164कैम्प/ प्र0अ0 (ग्रा0स0)/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दिनांक 04.05.2017 द्वारा निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को अपचारी अधिकारी के आवास पर उपलब्ध न होने की स्थिति में अपने स्तर से कमेटी गठित करते हुये उक्त तीनो पत्र अपचारी अधिकारी के आवास पर चस्पा किये जाने की साक्ष्य की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरोक्त के अनुपालन में निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय पत्रांक-493/ ग्रा0अ0 वि0/स्था0-1/17जांच(एम0के0श्रीवा0,अधी0अभि0) दिनांक 08.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि अपचारी अधिकारी के आवास पर उपलब्ध न होने की स्थिति में एक समिति गठित करते हुए उक्त पत्रों को अपचारी अधिकारी के आवास पर चस्पा करा दिया गया है।

प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित जॉच तिथि 16.05.2017 को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री आर0 के0 वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद उपस्थित हुए, परन्तु अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता उपस्थित नही हुए और न ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई लिखित/मौखिक सूचना ही उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव का स्वयं को संबोधित एवं निदेशक/मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सडक) एवं मुख्य अभियंता, प0क्षे0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को पृष्ठांकित पत्र दि0 06.05.2017 जांच अधिकारी के कार्यालय में दि0 16.05.2017 को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त आरोप पत्र पर बचाव उत्तर अथवा प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित जॉच तिथियों पर अनुपस्थिति संबंधी तथ्यों का उल्लेख न करते हुये अर्नगल एवं तथ्यहीन बाते लिखते हुये यह भी उल्लेख किया है कि जांच अधिकारी, प्रमुख अभियंता (ग्रा0स0) द्वारा बार-बार जबाव देने और उनके कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देश पारित किये जा रहे है। अपचारी अधिकारी के उक्त पत्र दिनांक 06.05.2017 से स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी को अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत करने एवं प्रकरण में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों का भली भांति संज्ञान था और उसके द्वारा जान बूझकर सुनियोजित रूप से प्रकरण के निस्तारण में कोई रूचि नही ली जा रही है एवं न ही किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अपचारी अधिकारी द्वारा अपना बचाव उत्तर लगातार अनुस्मरण कराने के पश्चात भी उपलब्ध न कराने, प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित जांच तिथियों पर बिना पूर्व सूचना के उपस्थित न होने एवं प्रकरण के निस्तारण में कोई रूचि न लेने के दृष्टिगत अनुशासनिक जांच नियमावली के सुसंगत नियमों के अंतर्गत एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये उपस्थित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से आरोपो के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा आरोपों की प्रमाणिकता के संबंध में वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा के क्रम में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा पीएमजीएसवाई फेज-10 के अंतर्गत पैकेज सं0-13141 के निविदा आमंत्रण की प्रति दि0 06.09.2014 उपलब्ध करायी गई, जिसमें उल्लिखित है कि विषयगत कार्य की निविदा की टेक्निकल बिड पार्ट-1 दि0 20.10.2014 को खोली जायेगी एवं तदनुसार तकनीकी बिड पार्ट-1 दि0 20.10.2014 को खोली गयी। इस प्रकार उक्त पत्र एवं उल्लिखित अभिलेखो के परीक्षण से यह तथ्य प्रतिपादित होता है **Procurement manual** के चैप्टर-6 में उल्लिखित **Procurement manual** के टेबुल-6.1 में उल्लिखित **Evaluation and approval of Technical bids-Part-I के** लिये निर्धारित समय सीमा मात्र 5 कार्य दिवस है तथा इसी प्रकार **National Rural Roads Development Agency, Ministry of Rural Development, Govt of India** के सर्कुलर दि0 07.05.2013 के साथ संलग्न गाइड लाइन्स के क्लॉज 5.6 में उल्लिखित **"The process of technical evaluation shall in all cases be completed within a period of five working days from the date of opening the technical bids."** है परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा बिना कोई कारण दर्शाये उपरोक्त निर्धारित मापदण्डो का अनुपालन न कर अप्रत्याशित/असाधारण विलम्ब करते हुये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तकनीकी बिड पार्ट-1 दि0 20.10.14 को खोलने के लगभग 73 दिनो के पश्चात तकनीकी बिड मूल्यांकन पार्ट-1 वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुमति उनके पत्रांक-5542/एस0ई0-आरईडी/पीएमजीएसवाई-2/टे0बिड/2014-15 दिनांक 02.01.2015 के द्वारा उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण से मांगी गयी है जो स्पष्टत: उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों की अवहेलना है। अत: अपचारी अधिकारी पर आरोप प्रमाणित होता है।

<u>आरोप संख्या-2</u>

अधीक्षण अभियंता, परि0-फैजाबाद के पत्रांक-5542/एसई-आरईडी/पीएमजीएसवाई-2/टे0बिड/14-15 दि0 02.01.2015 द्वारा पैकेज सं0-यूपी-13141 में प्रतिभाग करने वाले दोनो निविदादाताओं की निविदा एसबीडी की शर्तो के अनुरूप अर्ह नही पाये जाने के कारण मूल्यांकन समिति (जिसके श्री एम0के0 श्रीवास्तव अध्यक्ष थे) द्वारा नॉन रिस्पांसिव घोषित की गयी, परन्तु वित्तीय विड पार्ट-2 को खोलने की संस्तुति यूपीआरआरडीए को प्रेषित की गयी, जबकि दोनो निविदादाताओं की निविदायें नॉन रिस्पॉसिव होने की दशा में पुर्न निविदा आमंत्रित किये जाने की संस्तुति की जानी चाहिए थी। श्री श्रीवास्तव की उक्त त्रुटि के कारण यूपीआरआरडीए द्वारा अपने पत्रांक-4404/अी-226/यूपी आरआर डीए/2015 दि0 14.01.2015 द्वारा पैकेज सं0-13141 के दोनो निविदादाताओं के नॉन रिस्पांसिव पाये जाने के संबंध में आख्या विड मूल्यांकन समिति के संस्तुति सहित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

यूपीआरआरडीए के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में तकनीकी विड मूल्यांकन समिति (जिसके अध्यक्ष श्री श्रीवास्तवस्वयं थे) द्वारा पुर्न मूल्यांकन कर आख्या परि0-फैजाबाद के पत्रांक-6530 दिनांक 19.02.2015 द्वारा यूपीआरआरडीए को प्रेषित की गयी जिसमें मेसर्स विनोद कुमार ठेकेदार/फर्म की निविदा को रिस्पांसिव घोषित किया गया, जबकि श्री विनोद कुमार, पुत्र स्व0 बाबूराम सिंह, सा-कोडरा, थाना-मैरियां, जिला-सीवान का चरित्र प्रमाण पत्र के कूटरचित होने की सूचना एस0पी0 सीवान के पत्रांक-19750 सत्यापन दि0 06.12.2014 द्वारा श्री श्रीवास्तव के कार्यालय में दि0 17.12.2014 को प्राप्त हो

गयी थी, जिसे श्री श्रीवास्तव द्वारा स्वयं ही श्री शुक्ला, कनिष्ठ सहायक को दि0 18.12.2014 को मार्क भी किया गया था। ऐसी स्थिति में श्री विनोद कुमार, ठेकेदार/फर्म की निविदा के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र कूटरचित/फर्जी दस्तावेज होने का संज्ञान विड मूल्यांकन समिति के अन्य सदस्यों को कराते हुये निविदा नॉन रिस्पांसिव करते एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए थी, परन्तु श्री श्रीवास्तव द्वारा ऐसा न करके अपने अधीक्षण अभियंता/नामित समिति के अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन न कर चरित्र प्रमाण पत्र एस0बी0डी0 का पार्ट नही है, अतएव निविदा को इस आधार पर नॉन रिस्पांसिव नही किया जा सकता है का उल्लेख कर समिति के अध्यक्ष पद के दायित्वों/अधीक्षण अभियंता के पद का दुरूपयोग किया गया है जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई एवं निविदा की पारदर्शिता भी प्रभावित हुई है।

इस प्रकार श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त पैकेज संख्या-यूपी-13141 से संबंधित निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में प्रथम बार नॉन रिस्पांसिव घोषित निविदादाता की तकनीकी विड को पुर्न मूल्यांकन में निविदादाता के साथ दुरभिसंधि करते हुये रिस्पसिव श्रेणी में वर्गीकृत करने तथा कूटरचित व फर्जी दस्तावेज की जानकारी की पुष्टि होने के बावजूद भी विड मूल्यांकन समिति के अन्य सदस्यों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संज्ञापित न कराकर, अधीक्षण अभियंता के पद का दुरूपयोग किया गया तथा विड मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष पद के दायित्वों का समुचित निर्वहन नही किया गया एवं उक्त ठेकेदार/फर्म को नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाने का कूटरचित प्रयास किया गया, जिसके लिये श्री एम0के0 श्रीवास्तव प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

जांच अधिकारी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जॉच अधिकारी की जॉच आख्या

अपचारी अधिकारी पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-10 के अंतर्गत पैकेज संख्या-13141 से संबंधित निविदा में प्रतिभाग करने वाले दोनो निविदादाताओं की निविदाओं को एस0बी0डी0 की शर्तो के अनुरूप न पाये जाने के कारण नॉन रिस्पॉसिव घोषित किये जाने, परन्तु दोनो निविदादाताओं की निविदायें नॉन रिस्पॉसिव होने की दशा में पुर्न निविदा आमंत्रित किये जाने की संस्तुति न करते हुये वित्तीय बिड पार्ट-2 को खोलने की संस्तुति यूपीआरआरडीए को प्रेषित किये जाने संबंधी अपचारी अधिकारी की इस त्रुटि के कारण यूपीआरआरडीए के पत्र दि0 14.01.2015 द्वारा दोनो निविदादाताओं के नॉन रिस्पांसिव पाये जाने के संबंध में बिड मूल्यांकन समिति के संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में प्रथम बार नॉन रिस्पॉसिव घोषित निविदादाता मेसर्स विनोद कुमार ठेकेदार/फर्म की निविदा की तकनीकी बिड को पुर्न मूल्यांकन में निविदादाता के साथ दुरभिसंधि करते हुये रिस्पॉसिव श्रेणी में वर्गीकृत करने तथा कूटरचित व फर्जी दस्तावेज की जानकारी की पुष्टि होने के बावजूद भी विड मूल्यांकन समिति के अन्य सदस्यों को संज्ञापित न कराकर, अधीक्षण अभियंता के पद का दुरूपयोग किया गया तथा विड मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष पद के दायित्वों का समुचित निर्वहन नही किया गया एवं उक्त ठेकेदार/ फर्म को नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाने का कूटरचित प्रयास किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के लिये आरोपित किया गया है।

उपरोक्त आरोप से संबंधित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री एम0के0 श्रीवास्तव ने दिनांक 08.03.2017 को प्राप्त किया। उक्त आरोप-पत्र में यह उल्लिखित किया गया था कि अपचारी अधिकारी उस पर लगाये गये आरोपो के संबंध में अपना लिखित उत्तर 15 दिन में या उसके पूर्व जॉच अधिकारी को प्रस्तुत करेगें और यदि अपचारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि के अंदर अपना लिखित उत्तर प्राप्त नही कराया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसे अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार गुण-अवगुण के आधार पर यथोचित निर्णय ले लिया जायेगा। उक्त आरोप पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया था कि यदि अपचारी अधिकारी व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है अथवा किसी साक्ष्य का प्रति परीक्षण करना चाहते है तो भी लिखित रूप से तदनुसार अवगत करायें, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में न तो अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही किसी व्यक्तिगत सुनवाई / साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण हेतु सूचित ही किया गया।

तत्पश्चात जांच अधिकारी कार्यालय के पत्र दि0 23.03.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी को अपना बचाव उत्तर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया गया, इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा एक माह पश्चात भी अपना बचाव उत्तर उपलब्ध न कराये जाने पर जांच अधिकारी के पत्र सं0-136कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)/17-जांच(एम0के0श्रीवास्तव,अधी0अभि0), दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10.04.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जांच तिथि 25.04.2017 निर्धारित करते हुये अपचारी अधिकारी को अपने बचाव उत्तर सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

उक्त निर्धारित जॉच तिथि 25.04.2017 पर अपचारी अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी दोनो ही उपस्थित नही हुए और न ही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में उनके द्वारा कोई मौखिक/लिखित सूचना ही दी गई। तत्पश्चात जांच अधिकारी के पत्रांक-154कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दि0 25.04.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पुन जॉच तिथि 16.05.2017 निर्धारित करते हुये अपचारी अधिकारी को अपने बचाव उत्तर सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

अपचारी अधिकारी को उपरोक्तानुसार जॉच अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक-126कैम्प/ प्र0अ0(ग्रा0स0)17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दि0 23.03.2017, पत्रांक-136कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0 स0)/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दि0 10.04.2017 एवं पत्रांक-154कैम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)/17 -जांच(एम0के0श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दि0 25.04.2017 की तामीली जांच अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त न होने के दृष्टिगत पत्रांक-159कम्प/प्र0अ0(ग्रा0स0)/17-जांच(एम0के0श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दि0 28.04.2017 द्वारा निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को उक्त तीनो पत्रों की पावती अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय पत्रांक-426/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव, अधी0अभि0) दि0 02.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पत्र अपचारी अधिकारी को आवास पर प्राप्त कराये जाने हेतु जांच अधिकारी के कार्यालय द्वारा भेजे गये परन्तु उनके आवास पर उपस्थित न होने की स्थिति में उक्त पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे गये है, परन्तु निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय द्वारा उक्त पत्रों की तामीली की कोई सूचना जांच अधिकारी को उपलब्ध नही कराई गई। तत्पश्चात पुन: जांच अधिकारी के कार्यालय के पत्रांक-164कैम्प/ प्र0अ0 (ग्रा0स0)/17-जांच(एम0के0 श्रीवास्तव,अधी0अभि0) दिनांक 04.05.2017 द्वारा निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को अपचारी अधिकारी के आवास पर उपलब्ध न होने की स्थिति में अपने स्तर से कमेटी गठित करते हुये उक्त तीनो पत्र अपचारी अधिकारी के आवास पर चस्पा करवाकर, चस्पा किये जाने की साक्ष्य की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया।

उपरोक्त के अनुपालन में निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालयपत्रांक-493/ग्रा0 अ0वि0/ स्था0-1/17जांच(एम0के0श्रीवा0,अधी0अभि0) दि0 08.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि अपचारी अधिकारी के आवास पर उपलब्ध न होने की स्थिति में एक समिति गठित करते हुए उक्त पत्रों को अपचारी अधिकारी के आवास पर चस्पा करा दिया गया है।

प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित जॉच तिथि 16.05.2017 को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री आर0 के0 वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद उपस्थित हुए, परन्तु अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता उपस्थित नही हुए और न ही उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई लिखित/मौखिक सूचना ही उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव का स्वयं को संबोधित एवं निदेशक/मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सडक) एवं मुख्य अभियंता, प0क्षे0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को पृष्ठांकित पत्र दि0 06.05.2017 जांच अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के कार्यालय में दि0 16.05.2017 को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त आरोप पत्र पर बचाव उत्तर अथवा प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित जॉच तिथियों पर अनुपस्थिति संबंधी तथ्यों का उल्लेख न करते हुये अर्नगल एवं तथ्यहीन बाते लिखते हुये यह भी उल्लेख किया है कि जांच अधिकारी प्रमुख अभियंता (ग्रा0स0) द्वारा बार-बार जबाव देने और उनके कार्यालय में उपस्थित होने के जिए निर्देश पारित किये जा रहे है। अपचारी अधिकारी के उक्त पत्र दिनांक 06.05.2017 से स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी को अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत करने एवं प्रकरण में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों का भली भांति संज्ञान था और उसके द्वारा जान बूझकर सुनियोजित रूप से प्रकरण के निस्तारण में कोई रूचि नही ली जा रही है एवं न ही किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अपचारी अधिकारी द्वारा अपना बचाव उत्तर लगातार अनुस्मरण कराने के पश्चात भी उपलब्ध न कराने, प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित जांच तिथियों पर बिना पूर्व सूचना के उपस्थित न होने एवं प्रकरण के निस्तारण में कोई रूचि न लेने के दृष्टिगत अनुशासनिक जांच नियमावली के सुसंगत नियमों के अंतर्गत एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये उपस्थित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से आरोपो के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा आरोपों की प्रमाणिकता के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा वांछित अभिलेख निम्न अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये :-

1- अधिशासी अभियंता, पीआइयू-पीएमजीएसवाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फैजाबाद का पत्रांक-1263 /निविदा/संगणक/पीएमजीएसवाई-2/14-15 दिनांक 28.01.2015

2- पुलिस अधीक्षक, सीवान का पत्र सं0-19750 सत्यापन दि0 06.12.2014

उक्त पत्रों एवं उल्लिखित अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य प्रतिपादित होता है कि अपचारी अधिकारी द्वारा प्रथम बार उनके पत्र दि0 02.01.2015 द्वारा पैकेज संख्या-यू0पी0-13141 के निर्माण हेतु निविदा में प्रतिभाग करने वाले दोनो निविदादाताओं की निविदा के शर्तानुसार अर्ह नहीं पाये जाने के कारण मूल्यांकन समिति (जिसमें श्री श्रीवास्तव भी है) द्वारा नॉन रिस्पॉसिव घोषित की गई, परन्तु इस स्थिति में पुर्ननिविदा आमंत्रित किये जाने की संस्तुति उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण को नही

की गई। तत्क्रम में इस त्रुटि का संज्ञान लेकर उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक-4404/अी-226/यूपीआरआरडीए/2015 दि0 14.01.2015 द्वारा विषयगत प्रकरण में पुर्ननिविदा संबंधी आख्या बिड मूल्यांकन समिति की संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, जिससे तकनीकी बिड पार्ट-1 का टेण्डर वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण का उक्त पत्र दि0 14.01.2015 मुख्य अभियंता (पूर्वी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ को संबोधित एवं प्रति अपचारी अधिकारी तथा संबंधित अधिशासी अभियंता (पीआईयू), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फैजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है।

उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण का उक्त पत्र दि0 14.01.2015 के अनुपालन में अधिशासी अभियंता (पीआईयू), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फैजाबाद ने अपने पत्रांक-1263/निविदा/ संगणक/ पीएम जीएसवाई-2/2014-15 दिनांक 28.01.2015 द्वारा भी पैकेज सं0-यूपी-13141 से संबंधित संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट (टेक्निकल बिड पार्ट-1 पुन: निविदा की संस्तुति के साथ) तैयार कर अपचारी अधिकारी को प्रेषित करते हुये प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (पूर्वी), ग्रा0अभि0विभाग, लखनऊ एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निदेशक एवं मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई सेल), ग्रा0अ0वि0, लखनऊ को पृष्ठांकित है। उल्लेखनीय है कि अधिशासी अभियंता (पी0आई0यू0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फैजाबाद के पत्रदि0 28.01.2015 के साथ संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट पर **DAO, PIU, PMGSY, RED** फैजाबाद के भी हस्ताक्षर है।

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के पत्र दि0 14.01.2015 द्वारा दिये गये निर्देश एवं संबंधित अधिशासी अभियंता (पीआईयू), ग्रा0अ0विभाग, फैजाबाद के पत्र दि0 28.01.2015 द्वारा की गई संस्तुति किये जाने के बावजूद पुर्नमूल्यांकन कर बिड मूल्यांकन समिति की आख्या अपचारी अधिकारी के पत्रांक-6530 दि0 19.02.2015 द्वारा उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण को प्रेषित की गई, जिसमें बिड मूल्यांकन समिति (जिसमें अपचारी अधिकारी स्वयं सम्मिलित है) के द्वारा पूर्व में निविदा के दोनो निविदादाताओं को नॉन रिस्पॉसिव किये जाने के बावजूद पुनः श्री विनोद कुमार, ठेकेदार/फर्म की निविदा को रिस्पॉसिव घोषित कर तदनुसार संस्तुति उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण को की गई, जो मनमाने तरीके से करायी गयी कार्यवाही प्रतीत होती है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित टैक्निकल बिड मूल्यांकन समिति की आख्या, जिसके आधार पर श्री विनोद कुमार, ठेकेदार/फर्म को नॉन रिस्पॉसिव घोषित किया गया था तथा उपरोक्तानुसार उनमें निम्नवत विरोधाभास है :-

ठेकेदार का नाम	**बिड मूल्यांकन समिति द्वारा दि0 02.01.15 को प्रेषित रिपोर्ट, जिसमें श्री विनोद कुमार, ठेकेदार/ फर्म को नॉन रिस्पॉसिव घोषित किया गया, का विवरण**	**बिड मूल्यांकन समिति द्वारा दि0 19.02.2015 को प्रेषित रिपोर्ट, जिसमें बिडर को रिस्पॉसिव घोषित किया गया, का विवरण**
M/s Vinod Kumar, Vill.-Korara, Post- Vishunpura, Mairwa, Distt.- Siwan	1- Affidavit for correctness of document not uploaded online as per clause 4.4B-a(ii) of ITB 2- In Bank certificate required over draft amount 72.46 lacs not shown by bank as per ITB 4.2(g) & 4.4(B) (b)-(iii)	1- Same correctness certificate produced as shown in online. 2- For over draft bank certify to provide over draft credit facility as per requirement to meet against pack No.13141.

यह भी उल्लेखनीय है कि अपचारी अधिकारी के संज्ञान में पूर्व से यह भी था कि श्री विनोद कुमार, ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र कूटरचित व फर्जी है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, सीवान का पत्रांक-19750 दि0 06.12.2014 संलग्न है। इस पत्र को अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ श्री शुक्ला को मार्क भी किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद द्वारा उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है एवं उक्त आरोप हेतु पूर्णतः उत्तरदायी है। अतः अपचारी अधिकारी पर आरोप प्रमाणित होता है।

6- अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री एम0के0 श्रीवास्तव द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत फेज-10 के पैकेज संख्या-यूपी-13141 से निविदा आमंत्रण के समय तकनीकी बिड पार्ट-1 दि0 20.10.2014 को खोली गयी, परन्तु यूपीआरआरडीए की गाइड लाइन के अनुसार उसे 05 कार्यदिवस में अपलोड न कर 73 दिन के अत्याधिक विलम्ब के बाद अपलोड की गयी, साथ ही प्रश्नगत निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में प्रथम बार नॉन रिस्पॉसिव घोषित किये गये तकनीकी विड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को पुन: मूल्यांकन में निविदादाता के साथ दुरभिसंधि करते हुये रिस्पॉसिव श्रेणी में वर्गीकृत करने एवं निविदादाता द्वारा कूटरचित व फर्जी दस्तावेजों के प्रयोग किये जाने की जानकारी/पुष्टि होने के उपरांत भी बिड मूलयांकन समिति के अन्य सदस्यो को संज्ञानित न कराकर अधीक्षण अभियंता पद का दुरूपयोग करते हुये संबंधित फर्म/ठेकेदार को नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाये जाने का प्रयास किया गया जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है उनका यह कृत्य पदीय दायित्वों का निर्वहन न कर उनकी स्वेच्छाचारिता/भ्रष्टाचार को दर्शाता है, जिसके लिये श्री एम0के0 श्रीवास्तव को अंतिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंशन के 10 प्रतिशत अंश को स्थायी रूप से कटौती किये जाने के दण्ड दिये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चित किया गया तथा उक्त् विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर सहमति हेतु शासन के पत्र संख्या-05अ0मु0स0/92-2-20-151जांच/2015 दिनांक 17.01.2020 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज से अनुरोध किया गया। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-89(1)/04/एडीसी/एस-12/19-20 दिनांक 29.01.2021 से निम्नवत सहमति उपलब्ध करायी गयी :-

" श्री एम0के0 श्रीवास्तव, की पेशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से की जाय।"

7- अतएव लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र दिनांक 29.01.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के दृष्टिगत श्री एम0के0 श्रीवास्वतव जो दि0 30.09.2017 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये है को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के कारण उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2016/199/92-2-16-151जांच/2015 दिनांक 29.01.2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-35/2018/420/92-2-18-151 जांच/15 दि0 16.02.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया, को निम्नवत दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :

" श्री एम0के0 श्रीवास्तव, की पेशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से की जाय। "

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 15/2021/177(1) /92-2-2021 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-89(1)/04/एडीसी/एस-12/19-20 दिनांक 29.01.2021 के क्रम में।

3- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, परि0-फैजाबाद (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in